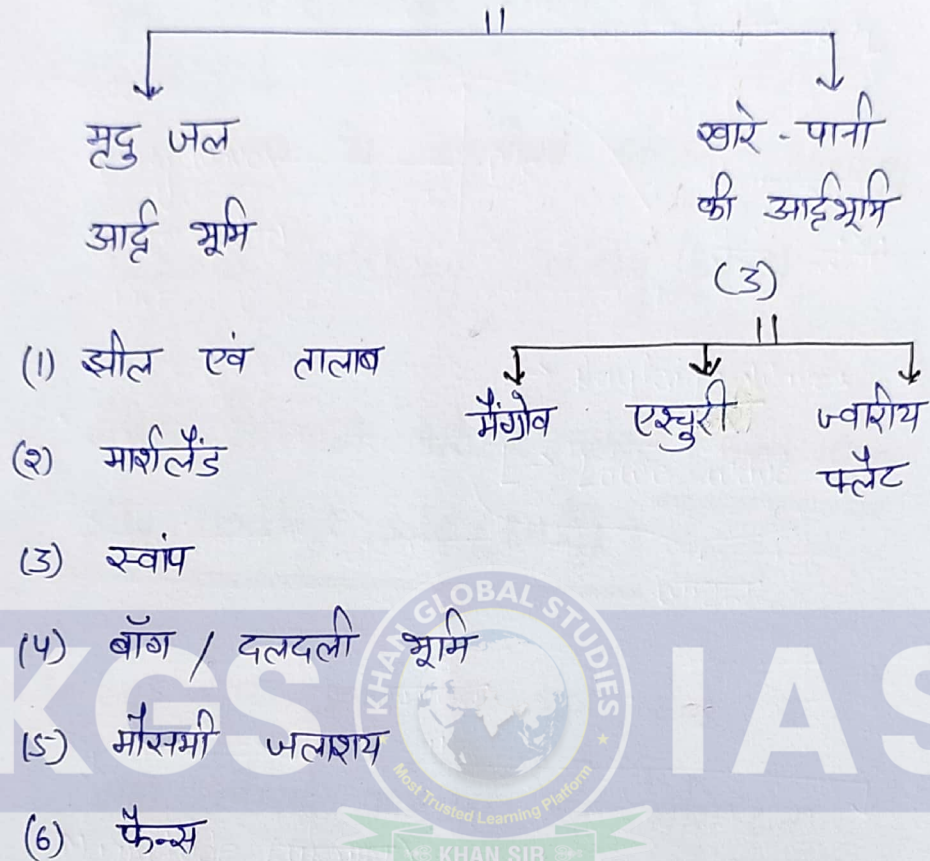
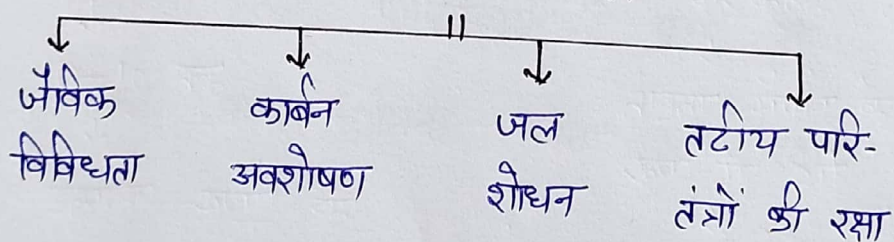


भारत में मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि :-



पर्यावरणीय महत्व



IUCN की Birds की Red list, Bird life International बनाती है।



भारत में सद्योगी संगठन - Bombay Natural History Society (BNHS).

जैविक विविधता धरोहर स्थल (Biodiversity Heritage site (BHS)) →

1. BHS इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं जहाँ जैविक विविधता की विशिष्टता पाई जाती है या फिर जैविक विविधता को पारिस्थितिकी रूप से संकट का सामना करना पड़ रहा हो।

2. इन्हें ऐसे क्षेत्रों में घोषित किया जा सकता है जो पहले से

किसी संरक्षण क्षेत्र के भाग नहीं हैं।

3. इन्हें जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया जाता है।

4. इनकी स्थापना का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है जिसमें स्थानीय निकायों से परामर्श करना आवश्यक है।

5. इनकी स्थापना के बाद केन्द्र सरकार के परामर्श से राज्य सरकारों के द्वारा नियम बनाए जाते हैं।

6. BMS की घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी एक विशिष्टता के आधार पर की जाती है-

- (a) प्रजातियों की प्रचुरता।
- (b) प्रजातियों की उच्च स्थानिकता।
- (c) कई संकटाग्रस्त प्रजातियों का पाया जाना।
- (d) कृषि या पशुपालन में अपनायी गयी प्रजातियों से संबंधित वन्य प्रजातियों का पाया जाना।
- (e) महत्वपूर्ण जीवाश्मों का पाया जाना।
- (f) ऐसी प्रजातियों या क्षेत्रों की उपस्थिति जिनसे स्थानीय समुदायों की धार्मिक या सांस्कृतिक मान्य-
तारें जुड़ी हैं।

7. वर्तमान में भारत में 47 BHS घोषित हैं।

8. BHS की घोषणा के बाद भी स्थानीय परंपरागत प्रथाओं पर

कोई रोक नहीं लगती।

भारत में 3 प्रकार के वन

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत स्थापित -

- i) आरक्षित वन (Reserved Forest)
- ii) संरक्षित वन (Conserved Forest)
- iii) ग्राम वन (Village Forest)

आरक्षित वन →

ये वन क्षेत्र सर्वाधिक नियंत्रण में रखे गए हैं। इन वन क्षेत्रों में ऐसी सभी गतिविधियाँ स्वतः प्रति-
बंधित मानी जाती हैं, जिनकी स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं दी गयी हो।
इन वन क्षेत्रों का संसाधन महत्व

सबसे अधिक है और ये पूर्णतः
वन विभाग के अधीनस्थ ही संचालित होते हैं। इन वन क्षेत्रों पर
वन्य जीव अभयारण्य नहीं स्थापित
किए जा सकते।

संरक्षित वन →

इन्हें संसाधन एवं पारिस्थितिक महत्व के लिए संरक्षण प्रदान किया जाता है, यहाँ पर स्थानीय समुदायों को कई प्रकार की छूट प्राप्त होती है। यहाँ प्रबंधन का मॉडल प्रतिबंधित गतिविधियों के आधार पर है, ऐसी कुछ गतिविधियों को छोड़कर अन्य गतिविधियों को स्वतः स्वीकृत माना जाता है।

ग्राम वन → ऐसे वन जिन्हें स्थानीय

समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति
के लिए निर्दिष्ट किया गया है।
यहाँ पर इमारती लकड़ियों को
छोड़कर अन्य लगभग सभी संसा-
धनों पर स्थानीय समुदाय का
अधिकार लागू होता है।